बरेली पुलिस
प्रेस नोट दिनांक 03.09.2025
थाना कैंट

थाना कैण्ट #bareillypolice द्वारा फिरौती के लिये अपहरण करने वाले अभियुक्तगण को सूचना के लगभग 06 घण्टे के अंदर किया गिरफ्तार, कब्जे से अपहृत व्यक्ति व घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद

घटना का सक्षिप्त विवरणः-

वादी मुकदमा बलविन्दर सिंह पुत्र श्री गुरा सिंह निवासी ग्राम सुचेतगढ़ थाना सुल्तानपुर लोधी जिला कपूरथला पंजाब के भाई दर्शन सिंह पुत्र गुरासिंह निवासी निवासी उपरोक्त, उम्र करीब 55 वर्ष, दिनांक 30.08.2025 को घर से नानक मत्ता गुरुद्वारा ऊधमसिंह नगर उत्तराखण्ड के लिए दर्शन करने आये थे। बीच रास्ते से वादी के भाई दर्शन सिंह को अज्ञात व्यक्तियों द्वारा अपहरण कर बरेली लाल फाटक कांधरपुर ले आये तथा अपहृत के परिजनो से जान से मारने की धमकी देते हुए फिरौती की मांग की। जिसके बाद अपहृत के भाई वादी मुकदमा द्वारा यूपीआई के माध्यम से दिनांक 31.08.2025 को चार बार में 150000 रुपये अभियुक्तों के खाते में डलवाये तथा फिरौती में और पैसो की मांग की गयी। जिसके बाद वादी की तहरीरी सूचना के आधार पर थाना कैंट पर दिनांक 02.09.2025 को मु0अ0सं0 487/2025 धारा 140(1),140(2),140(3) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

सूचना पुलिस टीम व कार्यवाही –

अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत मुकदमा उपरोक्त में विवेचना व साक्ष्य के क्रम में सूचना मिलने के उपरान्त 06 घण्टे में ही मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्तगण 1.आकाश पुत्र लालाराम निवासी ग्राम बियोदा थाना शेरगढ जिला बरेली हाल पता बैक आफ बडौदा ग्राम कांधरपुर थाना कैण्ट जनपद बरेली, 2.वीरेन्द्र पुत्र छत्रपाल निवासी ग्राम बियोदा थाना शेरगढ जिला बरेली को थाना कैण्ट पुलिस द्वारा दिनांक 03.09.2025 को मुखबिर की सूचना पर उमरसिया बभिया रास्ते पर पडने वाले डेलापीर हनुमान मन्दिर के पास से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल संख्या UP 25 DZ 7398 के साथ गिरफ्तार किया गया, जिनसे अपहृत दर्शन सिंह पुत्र गुरा सिंह निवासी ग्राम सुचेतगढ थाना सुल्तान पुर लोधी जनपद कपूरथला पंजाब की सकुशल बरामदगी की गयी और मुकदमा उपरोक्त में साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण 1.देवाराम उर्फ सोनू पुत्र नामालूम निवासी ग्राम शेरगंज थाना बिनावर जिला बदायू, 2.राहुल पुत्र अशोक निवासी बैक आफ बडौदा ग्राम कांधरपुर थाना कैण्ट जनपद बरेली, 3.मनोज साहू पुत्र हरीबाबू साहू निवासी सदभावना कालोनी कांधरपुर थाना कैन्ट जनपद बरेली, 4. अभिषेक उर्फ पुच्ची पुत्र कुवरपाल निवासी ग्राम कांधरपुर थाना कैण्ट जनपद बरेली के नाम प्रकाश में आये। गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा उपरोक्त घटना का इकबाल किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध नियमानसार विधिक कार्यवाही की गयी।

पूछताछ एवं अभियुक्त गण का विवरणः-

1. **आकाश पुत्र लालाराम निवासी ग्राम बियोदा थाना शेरगढ जिला बरेली हाल पता बैक आफ बडौदा ग्राम कांधरपुर थाना कैण्ट जनपद बरेली उम्र 23 वर्ष ने** पूछने पर बताया कि मैं पुताई का काम करता हूँ, मेरे पिता जी खेती करते है। दिनांक 31.08.2025 को सुबह करीब 07-08 बजे हम चार लोग मैं व 2. वीरेन्द्र पुत्र छत्रपाल निवासी ग्राम बियोदा थाना शेरगढ जिला बरेली 3.देवाराम उर्फ सोनू पुत्र नामालूम निवासी ग्राम शेरगंज थाना बिनावर जिला बदायूं 4. राहुल पुत्र अशोक निवासी बैंक आफ बडौदा ग्राम कांधरपुर थाना कैण्ट जनपद बरेली एक काली वैन्यू गाडी संख्या UP25ED8563 से तथा दो लोग 5. मनोज साहु पुत्र हरी बाबू साहू निवासी सदभावना कालोनी कांधरपुर 6. अभिषेक उर्फ पुच्ची पुत्र कुंवरपाल निवासी ग्राम कांधरपुर थाना कैण्ट जनपद बरेली हीरो स्पलेण्डर मोटरसाइकिल संख्या UP25DZ7398 से कांधरपुर से बरेली की तरफ जा रहे थे कि लाल फाटक पुल के पास हम लोगों को एक सरदार जी खडे मिले। हम सभी ने योजनाबद्ध

तरीके से गाडी सरदार जी के पास ले गये और सरदार जी से नाम पूछा तो उन्होने अपना नाम दर्शन सिंह बताया, जिसके बाद हम लोगों ने सरदार जी से पूछा कि कहां जा रहे हो तो उन्होने बताया कि मुझे नानकमत्ता गुरुद्वारा ऊधमसिंह नगर उत्तराखण्ड दर्शन करने जाना है, जहां पर जाने के लिए मैं बस स्टैड की तलाश में यहां पर आ गया हूँ चूकि मैं यहां पर नया हूं इसलिए मुझे बस स्टैण्ड नहीं मिल रहा है। इस पर हम लोगों ने खुद को नानकमत्ता जाने की बात कहकर सरदार जी को गाडी में बैठा लिया और जंगलो की तरफ ले गये। हम सभी ने सरदार जी को जंगलो की तरफ ले जाकर उनको छोडने के एवज में पैसे की मांग की व पैसे न देने पर जान से मारने की धमकी दी। देवाराम ने सरदार जी के घर पर सरदार जी के मोबाइल से उनकी पत्नी को व्हाटसएप कॉल किया और सरदार जी के अपरहण की बात बताकर छोडने के एवज में रुपये की मांग की व रुपये न देने पर जान से मारने को कहा तथा देवाराम ने सरदार जी के मोबाइल से सरदार जी की पत्नी को एक बैंक खाता नंबर भेजा जिसमें तीन लाख रुपये डालने को कहा, कुछ समय बाद देवाराम ने बताया कि उक्त बैंक खाते में डेढ़ लाख रुपये आ गये है। हमें और लालच आ गया और बाद में और तीन लाख रूपये की मांग की। सरदार जी से उनके घर पर वीडियो कॉल करायी जब इसे हम सभी लोग सरदार जी को जगह बदल बदल कर रख रहे थे। हम दोनों सरदार जी को मोटर साईकिल से रात में दूसरी जगह शिफ्ट करने को लेकर जा रहे थे, जहां हमारे साथी बताते वहां हम ले जा रहे थे कि पुलिस ने पकड़ लिया ।

2. वीरेन्द्र पुत्र छत्रपाल सिंह निवासी ग्राम बियोदा थाना शेरगढ जिला बरेली हाल बैंक आफ बड़ौदा के पास कांधरपुर थाना कैण्ट जनपद बरेली उम्र करीब 22 ने पूछने पर बताया कि मै दूरदर्शन टावर के सामने नारियल पानी बेचने का काम करता हूँ। दिनांक 31.08.2025 को सुबह करीब 07-08 बजे हम चार लोग मैं व 2.आकाश पुत्र लालाराम निवासी ग्राम बियोदा थाना शेरगढ जिला बरेली हाल पता बैंक ऑफ बडौदा ग्राम कांधरपुर थाना कैण्ट जनपद बरेली , 3. देवाराम उर्फ सोनू पुत्र नामालूम निवासी ग्राम शेरगंज थाना बिनावर जिला बदायूं 4. राहुल पुत्र अशोक निवासी बैंक ऑफ बडौदा ग्राम कांधरपुर थाना कैण्ट जनपद बरेली एक काली वैन्यू गाडी संख्या UP 25 ED 8563 से तथा दो लोग 5.मनोज साहू पुत्र हरी बाबू साहू निवासी सद्भावना कॉलोनी कांधरपुर थाना कैन्ट बरेली, 6.अभिषेक उर्फ पुच्ची पुत्र कुवरपाल निवासी ग्राम कांधरपुर थाना कैण्ट जनपद बरेली हीरो स्पलेण्डर मोटरसाइकिल संख्या UP 25 DZ 7398 से कांधरपुर से बरेली की तरफ जा रहे थे कि लाल फाटक पुल के पास हम लोगों को एक सरदार जी खडे मिले। हम सभी ने योजनाबद्ध तरीके से गाड़ी सरदार जी के पास ले गये और सरदार जी से नाम पूछा तो उन्होने अपना नाम दर्शन सिंह बताया जिसके बाद हम लोगो ने सरदार जी से पूछा की कहा जा रहे हो तो उन्होने बताया कि मुझे नानकमत्ता गुरुद्वारा ऊधमसिंह नगर उत्तराखण्ड दर्शन करने जाना है, जहां पर जाने के लिए मै बस स्टैड की तलाश मे यहा पर आ गया हूँ चूकि मै यहा पर नया हूं इसलिए मुझे बस स्टैण्ड नही मिल रहा है। इस पर हम लोगो ने खुद को नानकमत्ता जाने की बात कहकर सरदार जी को गाडी में बैठा लिया और जंगलो की तरफ ले गये । हम सभी ने सरदार जी को जंगलो की तरफ ले जाकर उनको छोडने के एवज मे पैसे की मांग की व पैसे न देने पर जान से मारने की धमकी दी । देवाराम ने सरदार जी के घर पर सरदार जी के मोबाइल से उनकी पत्नी को व्हाटसएप काल किया और सरदार जी के अपरहण की बात बताकर छोडने के एवज मे रुपये की मांग की व रुपये न देने पर जान से मारने को कहा तथा देवाराम ने सरदार जी के मोबाइल से सरदार जी की पत्नी को एक बैक खाता नंबर भेजा जिसमे तीन लाख रुपये डालने को कहा कुछ समय बाद देवाराम ने बताया कि उक्त बैंक खाते मे डेढ लाख रुपये आ गये है । हमें ओर लालच आ गया और बाद में तीन लाख रूपये की ओर मांग की सरदार जी से उनके घर पर वीडियो कॉल करायी जब इसे हम सभी लोग सरदार जी को जगह बदल बदल कर रख रहे थे। हम दोनों सरदार जी को मोटर साईकिल से रात मे लेकर दूसरी जगह सिफ्ट करने को लेकर जा रहे थे, जहां हमारे साथी बताते वहा हम ले जा रहे थे कि आपने पकड़ लिया ।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तो का विवरणः-</u>

1.आकाश पुत्र लालाराम निवासी ग्राम बियोदा थाना शेरगढ जिला बरेली हाल पता बैक आफ बडौदा ग्राम कांधरपुर थाना कैण्ट जनपद बरेली उम्र 23
2.वीरेन्द्र पुत्र छत्रपाल निवासी ग्राम बियोदा थाना शेरगढ जिला बरेली उम्र करीब 22 वर्ष।

<u>घटना के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोगः-</u>

मु0अ0सं0 487/2025 अंतर्गत धारा 140(1),140(2),140(3), 3(5) बीएनएस थाना कैण्ट बरेली।

वांछित अभियुक्त गण का विवरणः-

1.देवाराम उर्फ सोनू पुत्र नामालूम निवासी ग्राम शेरगंज थाना बिनावर जिला बदायू,
2.राहुल पुत्र अशोक निवासी बैक आफ बडौदा ग्राम कांधरपुर थाना कैण्ट जनपद बरेली,
3.मनोज साहू पुत्र हरीबाबू साहू निवासी सदभावना कालोनी कांधरपुर थाना कैन्ट जनपद बरेली,
4. अभिषेक उर्फ पुच्ची पुत्र कुवरपाल निवासी ग्राम कांधरपुर थाना कैण्ट जनपद बरेली

बरामदगी का विवरणः-

1. अपहृत दर्शन सिंह पुत्र गुरा सिंह निवासी ग्राम सुचेतगढ थाना सुल्तान पुर लोधी जनपद कपूरथला पंजाब उम्र 55 वर्ष
2. एक मोटरसाइकिल हीरो स्पलेण्डर संख्या UP25DZ7398

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार
2. SOG प्रभारी मय टीम
3. उ0नि0 अर्जुन सिंह
4. उ0नि0 बौबी कुमार
5. हे0का0 663 संदीप कुमार
6. का0 2992 प्रदीप
7. का0 2990 रोहन